

कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(द.प.कमान), खातीपुरा रोड, जयपुर-12
Office of The Pr. Controller of Defence Accounts(SWC) Khatipura Road -12

सं. हि.क./108/रा.भा.क.स./2018-19

दिनांक 01.02.2019


सेवा में,

रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलान बटार मार्ग, पालम,
दिल्ली छावनी - 110010

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन एवं उसके कार्यवृत्त का प्रेषण ।


इस कार्यालय में कार्यालय प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2019 को आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपकी अगामी कार्रवाई हेतु संलग्न करके प्रेषित किया जाता है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


लेखा अधिकारी (रा.भा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. उपनिदेशक, (राजभाषा), रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग), हिंदी अनुभाग, कमरा न. 128 एवं 130, सेना भवन, नई दिल्ली - 110011.
2. सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान, जयपुर.
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(मध्य), निर्माण सदन, कमरा न. 206, 52-ए, केंद्रीय कार्यालय परिसर, भोपाल - 462011.
4. **प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी.कक्ष (स्थानीय)** - कृपया संलग्न कार्यवृत्त को इस कार्यालय की वेबसाइट पर लोड करवाया जाए । साथ ही यह भी अनुरोध है कि कार्यालय की वेबसाइट को अद्यतन भी किया जाए ।
5. प्रभारी अधिकारी - सभी अनुभाग(स्थानीय) तथा इस संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय - इस कार्यालय में दिनांक 31.01.2019 को आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त। कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट pcdaswc.nic.in से लोड करके अपेक्षित मर्दों पर कार्रवाई की जाए तथा तत्संबंधी की गई अनुवर्ती कार्रवाई से हिंदी कक्ष को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए ।


लेखा अधिकारी (रा.भा.)

कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक,(द.प.क.), खातीपुरा जयपुर

इस संगठन के मुख्य कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2018-19 की चौथी बैठक माननीय प्रधान नियंत्रक महोदय श्री सरोज कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2019 को 11:00 बजे (पूर्वा.) कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	बैठक में स्थान
1.	श्री सरोज कुमार, भा.र.ले.से.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक	अध्यक्ष
2.	श्री अभिषेक शर्मा, भा.र.ले.से.	रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक	सदस्य
3.	श्री सुशील रियाड़, भा.र.ले.से.	रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक	सदस्य
4.	श्री संजीव कुमार टंडन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	श्री बी.एल.आर्य	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
6.	श्री राम सिंह मीना	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
7.	श्री वी.के.लाखीवाल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
8.	श्री सच्चिदानंद	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
9.	श्री एस. के. जैन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	श्री जी. डी. मीना	लेखा अधिकारी	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित - श्रीमती पूनम कुमारी, अनुवादक, श्री नरेश कुमार, क. अनुवादक एवं श्री विजय नामा, क. अनुवादक

सर्वप्रथम मुख्य कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय और अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। उसके उपरांत सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विधिवत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की तथा बैठक में सम्मिलित नए सदस्य श्री सच्चिदानंद, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा श्री एस. के. जैन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी का परिचय बैठक में उपस्थित अन्य सभी सदस्यों से करवाया। तत्पश्चात बैठक में पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार अधोलिखित मदों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

मद संख्या:1- पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा उसमें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही

इस कार्यालय की पिछली बैठक रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक महोदय श्री सरोज कुमार, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2018 को आयोजित की गई थी। उसका कार्यवृत्त सभी संबन्धित पक्षों को जारी कर दिया गया था। किसी कार्यालय, अनुभाग अथवा सदस्य से उस पर किसी प्रकार का कोई सुझाव अथवा टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अतः उसकी पुष्टि मान ली गई।

पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत सदस्य सचिव ने उस बैठक में लिए गए अधोलिखित निर्णयों पर इस कार्यालय में की गई अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में समिति को निमन्वत अवगत कराया गया।

मद संख्या : 2 - पिछली दो तिमाहियों - 09/2018 तथा 12/2018 की दोनों रिपोर्टों के आंकड़ों की

तुलनात्मक समीक्षा -

सदस्य सचिव ने समिति के सम्मुख 09/2018 तथा 12/2018 की तिमाहियों के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा समीक्षा हेतु प्रस्तुत करते हुए बताया कि -

(क) इस कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम 5.2 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाता है।

(ख) कार्यालय में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर अधिकाधिक मात्रा में हिन्दी में दिया जाता है। इस कार्यालय द्वारा 09/2018 की तिमाही में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले 3674 पत्रों में से 88.78% पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा 12/2018 की तिमाही में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले 4324 पत्रों में से 88.95 % पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ।

(ग) अपनी ओर से इस कार्यालय द्वारा क, ख और ग तीनों क्षेत्रों को जारी हिन्दी के मूल पत्राचार में लगातार वृद्धि हो रही है तथा 12/2018 की तिमाही में 96.28 % पत्रों का प्रेषण हिन्दी में किया गया है।

(घ) मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों द्वारा अधिकाधिक पत्राचार एवं कार्यालय टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जाती हैं। चर्चित तिमाही 12/2018 में 96.09% टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी गई हैं।

हिन्दी पत्राचार के तुलनात्मक आंकड़ों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यालय टिप्पणी पूर्णतः हिन्दी में लिखे जाएँ तथा अग्रेषण पत्र भी हिन्दी में लिखे जाएँ । पावतियों का प्रारूप हिन्दी में तैयार कर उनका प्रयोग किया जाए।

(कार्यवाही - सभी स्थानीय अनुभाग तथा हिन्दी कक्ष)

मद संख्या : 3 - अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण -

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2018-19 के वार्षिक कार्यक्रम के निर्देशानुसार तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के पत्रांक 0746/हि.क./रा.भा.नि./अधी.का./2018-19 दिनांक 03.04.2018 के अनुसार संगठन के 25% कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है ।

इस संबंध में सदस्य सचिव ने सूचित किया कि लालगढ़ जट्टान स्टेशन स्थित दो अधीनस्थ कार्यालयों लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता (वायु सेना) लालगढ़ जाट्टान तथा स्थानीय लेखा अधिकारी (सेना) लालगढ़ जाट्टान का राजभाषा संबंधी निरीक्षण कार्य 17 से 18 दिसंबर 2018 तक कर लिया गया है तथा दो घंटे की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। संबन्धित कार्यालयों को निरीक्षण रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को यह भी बताया कि इसी के साथ वर्ष 2018-19 में 25% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण कार्य पूरा किया गया।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 25% अनुभागों का निरीक्षण कार्य भी अगली तिमाही तक पूरा कर लिया जाए।

(कार्यवाही -हिन्दी कक्ष तथा संबन्धित अधीनस्थ कार्यालय)

मद संख्या : 4 - हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

राजभाषा हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। इसकी अनुपालना में दिनांक 12.12.2018 से 13.12.2018 तक मुख्य कार्यालय में 10 घंटे की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है।

(कार्यवाही -हिन्दी कक्ष)

मद संख्या : 5 - लिपिकों/आशुलिपिकों को प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण सभी अवर श्रेणी लिपिकों (LDCs)/अंग्रेजी टंककों के लिए अनिवार्य है। का. रक्षा लेखा महानियंत्रक, दिल्ली छावनी के पत्रांक 55018/हि.क./रा.भा./हि.शि.यो./मु.का./जिल्द8 दिनांक 12.06.2018 के निदेशानुसार इस कार्यालय के 03 लिपिकों 1. श्री कैलास चंद मीना /8344103 तथा 2. श्री कुलदीप सिंह /8348132 तथा 3. महिंदर कुमार को गृह मंत्रालय, (राजभाषा विभाग) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार के माध्यम से हिंदी शब्द संसाधन (हिन्दी टाइपिंग) पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के 56 वें सत्र (1 अगस्त, 2018 से जनवरी, 2019) में नामित किया गया है।

इस पर सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि उक्त तीनों कर्मचारियों प्रशिक्षणाधीन हैं।

(कार्यवाही -हिन्दी कक्ष)

मद संख्या : 6 - महानियंत्रक और मंत्रालय से प्राप्त पत्रों पर चर्चा -

(क) महानियंत्रक कार्यालय, दिल्ली छावनी से प्राप्त पत्र संख्या 74028/1/73/हि.क./ति.प्र.रि./09/2018 दिनांक 27.11.2018 के निदेशानुसार मुख्यालय कार्यालय को प्रत्येक तिमाही भेजी जाने वाली हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में मद संख्या 6 में हिन्दी कार्यशाला में कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी नामित किया जाना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

इस संबंध में सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि पत्रांक हि.क./102/हि.प्र./ति.प्र./2018 दिनांक 27.12.2018 के अधीन मुख्य कार्यालय को सूचित किया कि आगामी कार्यशाला में कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी नामित किया जाएगा।

(कार्यवाही - हिंदी कक्ष स्थानीय)

मद संख्या : 7 - अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय -

(1) ई-पत्रिका का प्रकाशन :-

माननीय प्रधान नियंत्रण महोदय की अध्यक्षता में आयोजित पिछली बैठक में चर्चा के दौरान पत्रिका 'मरु-लेखा' का क्रम जारी रखते हुए इसके अगले संस्करण को प्रकाशित करने के निर्णय लिया गया था।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि गृह पत्रिका 'मरु-लेखा' का चतुर्थ अंक सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्यालय की वेबसाइट पर 11/2018 में अपलोड की गई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि गृह पत्रिका 'मरु-लेखा' का पांचवा अंक भी प्रकाशित किया जाए तथा इस पत्रिका को छमाही के तौर पर प्रकाशित करने के आदेश दिए।

(कार्यवाही - हिंदी कक्ष स्थानीय)



लेखा अधिकारी (रा.भा.)